निबंधित

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक.....
5(स0) अपील (मधु केमिकल्स) 47/2015

दिनांक,.....

प्रेषक,

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सर्वश्री मधु केमिकल्स,
प्रो0– राजेश कुमार गुप्ता,
प्रथम तल, लीला पैलेस,
मीर अन सलेह रोड, तुलसी मार्केट के निकट,
गया।
पिन– 823001

विषयः– दायर अपीलवाद सं0– 47/2015 की सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सर्वश्री मधु केमिकल्स, गया बनाम बियाडा के मामले में सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ संलग्न है।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/–
उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5002 दिनांक 02/11/2016

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पटना को पारित आदेश की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

31/10/16

आ दे श फ ल क

अपील संख्या 47/2015

सर्वश्री मधु केमिकल्स, औद्योगिक क्षेत्र, गया

बनाम्

प्रबंध निदेशक, बिहार, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

यह अपील सर्वश्री मधु केमिकल्स, औद्योगिक क्षेत्र, गया द्वारा बियाडा के आदेश ज्ञापांक 4554/डी0 दिनांक 01.10.2015 के विरुद्ध दायर किया गया है। उक्त आदेश द्वारा अपीलकर्त्ता को आवंटित भूमि रद्द कर दिया गया है। उभय पक्ष उपस्थित हैं। उभय पक्षों को सुना।

अपीलकर्ता के विद्धान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि 'बियाडा' द्वारा उन्हें वर्ष 2007 में औद्योगिक क्षेत्र, गया में 19980 वर्गफीट भूमि प्लॉट सं0–P24 में पत्रांक 3480/डी0 दिनांक 01.09.2007 द्वारा ब्लीचींग पाउडर के उद्योग स्थापना हेतु आवंटित किया गया था। उनके द्वारा बताया गया कि आवंटन पत्र के अनुसार मैं बकाया राशि को जमा कर चुका हूँ। आवंटित भूमि के लीजडीड के अभाव में वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है, जिसके कारण उद्योग स्थापित नहीं हो सकी है। आवंटित भूमि पर पैकेज्ड ड्रिंकींग वाटर के परियोजना स्थापित करने हेतु आवेदन दिया था, जिसे बियाडा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। इसके बाद इकाई का नाम बदलने एवं ब्लीचींग पाउडर का निर्माण हेतु लीजडीड निबंधन करने का अनुरोध किया। अंत में अपीलकर्ता ने बियाडा के आदेश ज्ञापांक 4554/डी0 दिनांक 01.10.15 को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

बियाडा के विद्धान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि ज्ञापांक 3480/डी0 दिनांक 01.09.2007 के द्वारा इकाई का भू–आवंटन किया गया। इकाई को आवंटित भूमि का लीजडीड करने हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु लीजडीड हेतु निर्धारित प्रावधान के अनुसार स्थल पर प्रोमोटर्स कन्ट्रीब्यूशन का 50 प्रतिशत व्यय नहीं किए जाने के कारण लीजडीड की स्वीकृति नहीं दी जा सकी। बियाडा के पत्रांक 1619 दिनांक 20.04.2015 द्वारा लीजडीड हेतु वांछित कागजात एवं बकाया राशि रु0 2,08,483.00 मात्र जमा करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। इकाई द्वारा न तो वांछित कागजात जमा किया गया और न ही बकाये राशि का भुगतान किया गया। पुनः बियाडा के पत्रांक 1758 दिनांक 21.03.13 एवं पत्रांक 4536 दिनांक 26.04.13 द्वारा इकाई को नोटिस निर्गत किया गया। दिनांक 02.04.15 इकाई द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने की सूचना दी गयी, जिसके सत्यापन के कम में क्षेत्रीय पदाधिकारी, गया के पत्रांक 09

दिनांक 08.05.15 द्वारा स्थल निरीक्षण कर सूचित किया गया कि स्थल पर 80X 40=3200 वर्गफीट पर भवन निर्माण कर गैर निबंधित कार्य के रुप में छोटा आर0 ओ0 लगाकर वाटर पैकेजिंग का कार्य किया जा रहा है। बियाडा के पत्रांक 3788 दिनांक 11.08.15 द्वारा पैकेज्ड, ड्रिंकींग वाटर के परियोजना हेतु इकाई के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। इसके उपरान्त इकाई द्वारा इकाई का नाम बदलने एवं ब्लीचींग पाउडर के निर्माण हेतु लीजडीड निबंधन करने का अनुरोध किया गया, जिसकी जाँच क्षेत्रीय प्रभारी, गया द्वारा दिनांक 14.09.15 को किया गया। इकाई का निरीक्षण कर क्षेत्रीय पदाधिकारी, गया द्वारा फोटोग्राफ सहित प्रतिवेदित किया गया कि इकाई के परिसर में ब्लीचींग पाउडर का उत्पादन किये जाने का कोई प्रमाण नहीं देखा गया है। इकाई में गैर निबंधित वाटर पैकेजिंग का कार्य किया जा रहा है।

अंत में बियाडा के आदेश ज्ञापांक 4554/डी0 दिनांक 01.10.2015 द्वारा इकाई को आवंटित भूमि लम्बी अवधि से किसी प्रकार की औद्योगिक गतिविधि के अभाव में रद्द कर दिया गया।

उभय पक्षों द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इकाई को वर्ष 2007 में ब्लीचींग पाउडर उद्योग स्थापना हेतु भूमि आवंटित किया गया था । इकाई द्वारा उद्योग स्थापना के लिए भी कोई ठोस एवं सार्थक प्रयास नहीं किया गया है, एवं इकाई द्वारा गैर निबंधित कार्य किया जा रहा है जिसे बियाडा ने अस्वीकृत कर दिया है। बियाडा द्वारा समय–समय पर नोटिस निर्गत किया गया है। बियाडा के show cause Notice का भी इकाई द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है, और न ही Exit policy में शामिल होने के लिए कोई आवेदन दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्त्ता उद्योग लगाने के प्रति उदासीन है और प्राधिकार को उलझा कर भूमि को अपने कब्जे में किसी दूसरे उद्देश्य के लिए रखना चाहते हैं। उपर्युक्त स्थिति में इकाई को आवंटित भू–खण्ड को रद्द करने का 'बियाडा' का आदेश सही है।

अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

31/10/2016
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

लेखापित एवं शुद्धित,

31/10/2016
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

D/mydocument/A.Roy/Adeshfalak